न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0149 / 2022 तारीख रजू:— 29.06.2022

पीठासीन अधिकारी :— अनूपसिंह

R.A.S.

1. द्रोपती पत्नि स्व0 फत्ते	समस्त जाति जाटव निवासी मिल्कीपुरा
2. रिंकू पुत्र फत्ते	
3. हाकिम पुत्र फत्ते	तहसील सूरौठ जिला करौली
4. बनैसिंह पुत्र रामफूल	
5. रामदयाल पुत्र रामफूल	———————————— सायलान

बनाम

1. प्रदीप कुमार पुत्र अशोक कुमार जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन जिला करौली
2. रामकेश पुत्र मांगीलाल जाति जाटव निवासी सैंगरपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. बैंक ऑफ बडौदा, शाखा ढिंढोरा जरिये शाखा प्रबन्धक ——— गैरसायलान

प्रार्थना—पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी एडवोकेट सायलान
2. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट गैरसायल सं.1,2

निर्णय दिनांक :— 7-7-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान द्वारा उपरोक्त उनवानी दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा गैरसायलान के विरूद्ध ठोस एवं मजबूत आधारों पर अदालत हाजा में पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी—पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि सायलान के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3305 रकबा 0.52 है0, 3306 रकबा 0.10

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

है0. 3307 रकबा 0.26 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली में स्थित है। जिसे सायलान काश्त कर लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे हैं, गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं है। सायलान की उक्त आराजीयात चारों तरफ डौल मेंढ से महफूज है, आराजी खसरा नम्बर 3307 की पूर्वी डौल खसरा नम्बर 3308 की सीध में सीधी बनी हुई है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं01 व 2 ने सायलान की आराजी खसरा नम्बर 3307 के पडौस में खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है, गैरसायलान 1 व 2 अपनी उक्त आराजी की सीमाओं को बढाकर सायलान की आराजी खसरा नम्बर 3307 में करीब 7–8 फिट भूमि आर–पार बढाकर कब्जा करना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, गैरसायलान की आराजी खसरा नम्बर 3299 में होकर सायलान का डौल के सहारे सहारे हमेशा से रास्ता रहा है जो सायलान की आराजी को आम सडक मिल्कीपुरा आलावाडा सडक से जोडता है, उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग भी सायलान शुरू से ही करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं01 व 2 अपने खेत खसरा नम्बर 3299 की सीमा के बाहर सायलान की आराजीयात में अवैध अतिक्रमण कर कब्जा करने पर आमादा है, इस आश्य से उन्होंने सायलान की आराजीयात में से करीब 7–8 फिट भूमि खेत की सीध में बढा दी है तथा उस पर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा हैं, जिसका गैरसायल सं01 व 2 का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। मिन सायलान गरीब, कमजोर तबके के व्यक्ति हैं। जबकि गैरसायल सं01 व 2 भूमाफिया, प्रोपर्टी डीलर व राजनैतिक अप्रोच वाले व्यक्ति हैं जो कम जमीन खरीदकर अधिक जमीन पर प्लोटिंग करना चाहते हैं। इस आश्य से पडौडियों को तंग कर उनकी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर उनके रास्ते रोककर गरीब व्यक्तियों को जमीन बेचने के लिए मजबूर करते हैं। जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। गैरसायलान अपनी बेजा हरकतों से तब तक बाज

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नहीं आवेंगे जब तक कि उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं फरमाया जावेगा। इसलिए सायलान को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं01 व 2 तब तक अपनी उक्त हरकतों से बाज नहीं आवेंगे तब तक कि उसे जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं फरमा दिया जावेगा, पाबन्द न करने की सूरत में गैरसायल सं01 व 2 अपने उक्त गैरकानूनी मकसद में कामयाब हो जावेंगे, जिसकी पूर्ति दृव्य में भी सम्भव नहीं होगी एवं सायलान का दावा पेश करने का मकसद ही फौत हो जावेगा एवं सायलान को हकतलफी होगी ।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस,सुख सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू बखूबी रूप से प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायलान स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ताफैंसला मूल वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अम्र के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि ये सायलान की आराजी खसरा नम्बर 3305 रकबा 0.52 है0, 3306 रकबा 0.10 है0, 3307 रकबा 0.26 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें, सायलान की उक्त आराजी में अवैध अतिक्रमण कर कब्जा नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे सायलान के हक, हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे, सायलान को उसकी उक्त आराजी से बेदखल नहीं करें तथा सायलान की उक्त आराजी में कोई अवैध निर्माण नहीं करें तथा दौराने दावा यदि गैरसायल सं01 व 2 सायलान की आराजी खसरा नम्बर 3307, 3306 व 3305 के किसी हिस्से पर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा करने में सफल हो जावें तो उसे बेदखल कर सायलान को वापिस दिलाया जावे। गैरसायल सं01 व 2 के निर्माण को न्यायालय की निगरानी में ध्वस्त कर हटवाया जावे। रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल सं01,2 की ओर से श्री अशोक गीमनका एडवोकेट उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। उक्त प्रकरण सायलान द्वारा एकदम गलत, मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। जिसमें लेशमात्र भी सत्यता नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण में सायलान की सफलता की लेशमात्र भी उम्मीद नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 गलत है, अस्वीकार है। खसरा नम्बर 3305 रकबा 0.52 है0, 3306 रकबा 0.10 है0, 3307 रकबा 0.26 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली में स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान पर गैरसायलान का कब्जा काश्त है। सायलान का उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 3307 की पूर्वी डोल खसरा नम्बर 3308 की सीध में नहीं बनी हुई है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 जिस प्रकार से लिखा है,गलत है, अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं05, जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं06, जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है।

विशेष विकरण :—

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि सायलान द्वारा गैरसायलान की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 स्थित ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। जिसके बाबत् गैरसायलान द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सायलान को पक्षकार बनाते हुए प्रस्तुत किया। जिसमें श्रीमान् द्वारा दिनांक 05.05.2022 को आदेश पारित फरमाते हुए खसरा नम्बर 3299 के 29 एयर रकबे का सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी के आदेश पारित फरमाये हैं। उक्त आदेश की अनुपालना में श्रीमान् तहसीलदार जी तहसील सूरौठ द्वारा मौके पर पहुँचकर जब नाप तोल करना प्रारम्भ किया तो सायलान द्वारा उसका विरोध किया। जिस पर पुलिस इमदाद के बावजूद भी सायलान द्वारा श्रीमान्‌जी के आदेश की पालना नहीं करने दी। अब सायलान उक्त आदेश को निष्प्रभावी करने के आशय से इस अदालत को मुगालता देकर स्थगन आदेश प्राप्त करना चाहते हैं एवं सायलान का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि सायलान द्वारा समस्त मेटेरियल फैक्टस को छिपाकर उक्त वाद मय प्रार्थना पत्र हाईड एण्ड सींक के प्रिंसिपल के आधार पर प्रस्तुत किया है। जिसमें सायलान को कोई इक्यूटेबिल रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073 –76, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायल सं01 व 2 ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073 –76 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 3305 रकबा 0.52 है0, 3306 रकबा 0.10 है0, 3307 रकबा 0.26 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

द्रोपती पत्नि फत्ते हि01/9,बनैसिंह पुत्र रामफूल हि01/3, रामदयाल पुत्र रामफूल हिस्सा 1/3, रिंकू पुत्र फत्ते हिस्सा 1/9, हाकिमसिंह पुत्र फत्ते हिस्सा 1/9 जाति जाटव निवासी मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073 –76 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ की खातेदारी प्रदीप कुमार पुत्र अशोक कुमार हि01/2 जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन खातेदार, रामकेश पुत्र मांगीलाल हि01/2 जाति जाटव निवासी सैंगरपुरा तहसील करौली खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान के अनुसार ग्राम मिल्कीपुरा के खसरा नम्बर 3306 व 3307 के उत्तरी भुजा के लगमा हाल खसरा नम्बर 3299 स्थित है।

फोटो प्रति नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 80/2021 उनवानी प्रदीप वगैराह बनाम तहसीलदार हिण्डौन वगैराह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट में दिनांक 05.05.2022 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये गये कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 ग्राम मिल्कीपुरा का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाते समय मौके पर कानून व्यवस्था एवं परिशान्ति बनाये रखने हेतु यदि तहसीलदार उचित समझे तो थानाधिकारी थाना सूरौठ से पर्याप्त पुलिस जाप्ता नियत तारीख पेशी को प्राप्त कर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए खसरा नम्बर 3299 के सभी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा प्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार सूरौठ के यहाँ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार सूरौठ एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। उक्त प्रकरण में सायलान पक्षकार थे,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

यदि उनको कोई आपत्ति थी, तो उक्त प्रार्थना पत्र में अपना उज्र पेश करते किन्तु सायलान के द्वारा कोई उज्र पेश नहीं किया और ना ही उपस्थित आये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 3305 रकबा 0.52 है0, 3306 रकबा 0.10 है0, 3307 रकबा 0.26 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ के सायलान खातेदार काश्तकार हैं तथा खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ के गैरसायलान खातेदार काश्तकार हैं। ग्राम मिल्कीपुरा के खसरा नम्बर 3306 व 3307 के उत्तरी भुजा के लगमा हाल खसरा नम्बर 3299 स्थित है। इसी न्यायालय ने मुकदमा नं0 80/2021 उनवानी प्रदीप कौसह बनाम तहसीलदार हिण्डौन दमैसह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट में दिनांक 05.05.2022 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये गये कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 3299 रकबा 0.29 है0 ग्राम मिल्कीपुरा का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाते समय मौके पर कानून व्यवस्था एवं परिशान्ति बनाये रखने हेतु यदि तहसीलदार उचित समझे तो थानाधिकारी थाना सूरौठ से पर्याप्त पुलिस जाप्ता नियत तारीख पेशी को प्राप्त कर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए खसरा नम्बर 3299 के सभी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा प्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार सूरौठ के यहाँ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार सूरौठ एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। उक्त प्रकरण में सायलान पक्षकार थे, यदि उनको कोई आपत्ति थी, तो उक्त प्रार्थना पत्र में अपना उज्र पेश करते किन्तु सायलान के द्वारा कोई उज्र पेश नहीं किया और ना ही उपस्थित आये। जिससे साफ जाहिर है कि सायलान उक्त प्रकरण में स्थगन आदेश प्राप्त कर इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2022 को जारी आदेश

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

की पालना में रूकावट पैदा करना चाहते हैं। तहसीलदार सूरौठ द्वारा नियमानुसार गैरसायल सं0 1व 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3299 का सीमाज्ञान करते हुए गैरसायल सं01 व 2 को पत्थगर गढी कराना है। जिसके लिए वह स्वतंत्र है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में नजर आता है और ना ही सायलान का अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू ही साबित है, तथा गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने पर सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है, बल्कि प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द कर दिया गया तो उससे गैरसायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 3305 रकबा 0.52 है0, 3306 रकबा 0.10 है0, 3307 रकबा 0.26 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 7-7-2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)